91

II/निग०/रीवा/2017/4786

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

RS 301 —

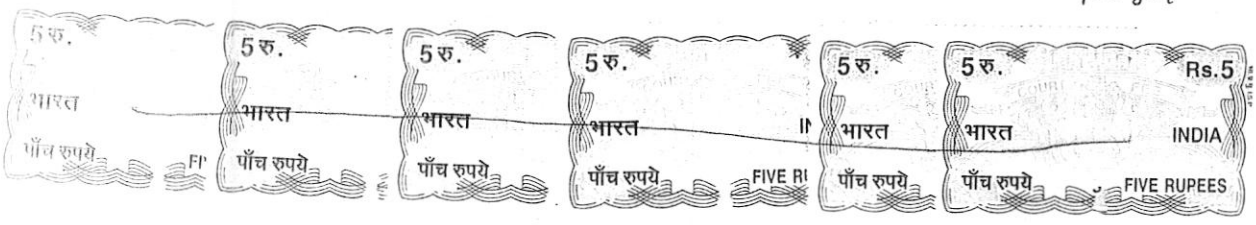

1. पारसनाथ तनय स्व0 श्री बृजवासीराम मिश्र उम्र 78 वर्ष पेशा खेती
2. लक्ष्पति प्रसाद मिश्र तनय श्री पारसनाथ मिश्र उम्र 30 वर्ष पेशा खेती
3. आशीष कुमार तनय स्व0 श्री अंजनी प्रसाद मिश्र उम्र पेशा खेती

सभी निवासीगण ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

..... **आवेदकगण**

बनाम

1. बालेन्द्र शैषर मिश्र तनय स्व0 श्री राजाराम मिश्र उम्र 50 वर्ष पेशा खेती
2. जागेश्वर प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 ठाकुरराम मिश्र (मृत)
3. परमेश्वर प्रसाद मिश्र तनय स्व0 श्री ठाकुरराम मिश्रा उम्र 70 वर्ष पेशा खेती
4. दुर्घटलाल तनय स्व0 श्री मोतीलाल मिश्र उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि
5. प्रेमकली पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल मिश्र उम्र 70 वर्ष पेशा घरू कार्य
6. राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र तनय स्व0 श्री राजाराम मिश्र उम्र 70 वर्ष
7. बृजेन्द्र प्रसाद मिश्र तनय स्व0 श्री राजाराम मिश्र उम्र 60 वर्ष
8. श्रीमती विद्यावती मिश्र पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 53 वर्ष पेशा घरू कार्य
9. विपिन मिश्र तनय स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 19 वर्ष
10. विशाल मिश्र तनय स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 14 वर्ष
11. कु0 साधना मिश्र पुत्री स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 16 वर्ष

} दोनों नावालिग वली जरिये मां श्रीमती विद्यावती मिश्र

सभी निवासी ग्राम सगरा तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

.....**अनावेदकगण**

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा द्वितीय अपील कं0 321/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

लक्ष्पति मिश्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–दो/निग./रीवा/भू.रा./17/4786

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री अजीत कुमार मिश्रा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 321/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि पटवारी द्वारा मात्र मौके की स्थिति का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन के साथ बटवारा पुल्ली प्रस्तुत नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपन आदेश के पैरा 2 में लेख किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक का 1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अनावेदक क्रमांक 5, 6, 8 राघवेन्द्र प्रसाद एवं आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर विधिक आपत्ति पेश की गई थी और प्रथमदृष्टया प्रकरण की स्थिति हक एवं स्वत्व की होती थी, हक एवं स्वत्व के संबंध में कार्यवाही	

करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि पटवारी द्वारा मात्र प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्षों की बटवारा पुल्ली पेश नहीं की गई है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

3– अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजुर के आदेश को स्थिर रखा गया है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त का आदेश विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 321/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य